न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 157/2025 बउनवानी तुलसी देवी जांगिड बनाम तहसीलदार बौंली
पत्नि हरिमोहन जांगिड निवासी ग्राम मलारना डूँगर

GCMS No-2025/323

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
12.11.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 12.9.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **तहसीलदार बौली के पत्रांक भू.अ./2025/604 दिनांक 25.2.2025 की पालना मे 6/-रू शुल्क जमा करवाने के उपरान्त भी चाही गयी सूचना की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नही करवायी गयी हैं। अतः उक्तानुसार वांछित सूचना की प्रमाणित प्रति**" तहसीलदार बौंली से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः सू.का.अ/अपील/2025/77 दिनांक 11.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 12.9.2025 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार बौंली के पत्रांक /आरटीआई/अपील/2025/64 दिनांक 11.11.2025 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 12.9.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली के पत्रांक 64 दिनांक 11.11.2025 द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner